



2026:AHC:15199

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 30335 वर्ष 2025

राजू उर्फ हेमेन्द्र

.....आवेदक

बनाम

उ० प्र० राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता	:	अरविन्द कुमार साहू, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव
प्रतिवादी के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रतिवादी की विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता सुश्री अनिता सिंह को सुना गया, तथा अभिलेख का परिशीलन किया।

वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से थाना फैज़गंज, जिला बदायूँ में उत्तर प्रदेश गिरोहबंद तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2/3 के अधीन पंजीकृत वाद अपराध संख्या 2015 का 134 में विचारण की लम्बितता के दौरान उसे जमानत पर रिहा करने की याचना के साथ दाखिल किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया है कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है और उसे इस वाद अपराध संख्या में झूठा आलिप्त किया गया है। आवेदक दिनांक 28.05.2025 से कारागार में निरुद्ध है। उपरोक्त वाद में आवेदक को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13.07.2025 को जमानत दी गई थी, और जमानत पर रिहा होने के पश्चात् आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका। विचारण न्यायालय ने आवेदक के विरुद्ध अजमानतीय वारण्ट जारी किया। तत्पश्चात् दिनांक 27.05.2025 को पुलिस द्वारा आवेदक को गिरफ्तार किया गया। आवेदक का 21 मामलों का आपराधिक पूर्ववृत्त है, जिसका स्पष्टीकरण अनुपूरक शपथ-पत्र

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



में दिया गया है। जमानत पर रिहाई की दशा में उसके न्याय की प्रक्रिया से फरार होने या साक्ष्य से छेड़छाड़ करने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः जमानत की याचना की गई है।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की याचना का प्रबल विरोध किया है, किन्तु वे उपरोक्त तथ्य को विवादित नहीं कर सके। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अभियुक्त-आवेदक जमानत पर रिहाई के पश्चात् एक भी तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। आवेदक का चार मामलों का आपराधिक इतिहास है और वह अभ्यस्त मफ़रूर है। किसी भी मामले में आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ, अतः इस न्यायालय द्वारा उसे कोई अनुग्रह नहीं दिया जाना चाहिए।

उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की दशा में दण्ड की गम्भीरता, पुष्टिकर साक्ष्य की प्रकृति, गवाह से छेड़छाड़ की युक्तियुक्त आशंका और प्रथम दृष्टया मामले पर विचार करते हुए, किन्तु मामले के गुणागुण पर कोई टिप्पणी किये बग़ैर, जमानत का मामला बनता है।

तदनुसार, जमानत आवेदन अनुमत किया जाता है।

आवेदक राजू उर्फ हेमन्द्र को उपरोक्त अपराध संख्या में सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर वैयक्तिक बन्धपत्र एवं समान राशि की दो विश्वसनीय प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाये:-

- (i) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसे तथ्य न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को प्रकट करने से विरत करने के उद्देश्य से उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा और न ही साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगा।
- (ii) आवेदक अभियोजन गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें भयभीत नहीं करेगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (i) वाद प्रारम्भ, (ii) आरोप-विरचन एवं (iii)

बयान दर्ज करने के लिए नियत तारीखों पर स्वयं उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक इस आशय का वचनपत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों तब गवाही के लिए नियत तारीखों पर वह किसी स्थगन की मांग नहीं करेगा।

(v) आवेदक प्रत्येक नियत तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में वह जमानत निरस्त करने का आधार माना जाएगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कहा गया कोई भी वक्तव्य केवल इस जमानत आवेदन के विनिश्चय के प्रयोजन तक सीमित है और इसे किसी भी प्रकार से मामले के गुणागुण पर अभिव्यक्ति के रूप में अर्थान्वित नहीं किया जायेगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कहे गये किसी भी वक्तव्य से अप्रभावित रहते हुए प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर अपने स्वतन्त्र निष्कर्षों पर पहुँचने के लिए पूर्णतः स्वतन्त्र होगा।

21 जनवरी, 2026

पीकेएस

(न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।